

क्राइस - 17050

कार्यालय आदेश

जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग ग्राम कवाल के निकट ऊपरी गंगा नहर पर सेतु की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश सं० 23/2018/504/23-9-2018-12-नाबार्ड (सेतु)/2017 लो०नि०वि०-9 दिनांक 31.03.2018 द्वारा रू० 617.30 लाख की प्राप्त हुयी है, जिसमें सेतु अंश रू० 434.43 लाख है।

प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना(सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36 प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) -24 वृहत निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं० 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789 अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर०आई०डी०एफ० के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण -24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

1. इकाई द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति आगणन (सेतु अंश), के सापेक्ष सेतु कार्य हेतु एतद्वारा रू० 617.30 लाख (रू० छः करोड़ सत्रह लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि किसी दशा में तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय न किया जायें।
2. यह स्वीकृति क्रमांक 2813 / टी.एस. / 920 पीबीसी / 18-19 दि० 20/8/18 द्वारा पंजीकृत की गयी है।
3. यह स्वीकृति शासनादेश सं० 2567/23-सानिअनु-1-101ई/73, दिनांक -14.07.77 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

- i. वास्तविक निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित रेखा चित्रों व परिकल्पना के आधार पर ही किया जायेगा।
- ii. सेतु निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए स्वीकृत आगणन में से शेष बची धनराशि को सुरक्षित रखा जाये जिसका व्यय करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त की जाये।
- iii. विभिन्न मदों पर किया जाने वाल व्यय तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जाये।
- iv. पी०आर०डब्ल्यू०(लेबर) के मद में व्यय संबंधित महा प्रबन्धक/मु०परि०प्रब० के अनुमोदन पर ही किया जायेगा।
- v. तकनीकी स्वीकृति आगणन में दी गई दरें आंकलन हेतु हैं, वित्तीय नियमों के अनुरूप सक्षम/नियंत्रक अधिकारी से दरों का अनुमोदन प्राप्त कर ही कार्य कराया जायेगा।
- vi. आगणन में ली गयी दरें औचित्यपूर्ण होने का पूर्ण दायित्व क्षेत्रीय महा प्रबन्धक/मुख्य परि० प्रबन्धक का होगा।
- vii. आगणन में सम्मिलित मदों के कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुरूप होने का दायित्व क्षेत्रीय महा प्रबन्धक/मुख्य परि० प्रबन्धक एवं इकाई प्रभारी का होगा।
- viii. कार्य पर व्यय, उपलब्ध धनराशि एवं तकनीकी स्वीकृति में से जो भी कम हो, से अधिक न किया जाये।

ह०/३
(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक

53/आ०प्र०/ 920 पीबीसी/ 2018-19 दि० 20/08/2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, लो०नि०अनु०-09, लखनऊ।
2. महा लेखाकार, लेखा एवं हकदारी द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. प्रमुख अभियन्ता(विकास एवं विभागध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(नि०), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, 31वीं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।
8. मुख्य परियोजना प्रबंधक(गाजियाबाद), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, गाजियाबाद।
9. मुख्य परि० प्रबन्धक(नियोजन) उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० लखनऊ।
10. परि० प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, से०नि०ई०, सहारनपुर को तकनीकी स्वीकृत आगणन धनराशि रू० 617.30 लाख की एक प्रति सहित प्रेषित।
11. संप परि० प्रबन्धक(आगणन), उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, लखनऊ।

(इन्द्र पाल सिंह)

परियोजना प्रबंधक

लोक निर्माण इकाई, सहारनपुर

Head Office: Setu Bhawan, 16-Madan Mohan Malviya Marg, LUCKNOW-226 001. Phone: 2205815, 2205807, 2209792. Fax# 0522-2209796

E-mail: upspcltd@rediffmail.com; upspcltd@gmail.com, Web Site: www.bridgecorporationltd.com

New Delhi: Phone 011-25929019, G.M. Ghaziabad: Phone: 0120-2781409

(मन्नी लाल)

महा प्रबन्धक (आगणन)